

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज

विविध वाद सं०-९/२०२५

मो० चांद सिद्धीकी आवेदक
बनाम
मुस्कान खातुन विपक्षी

14.03.2026

उभयपक्ष रा. लोक अदालत के पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। वर्तमान वाद चांद सिद्धीकी द्वारा भरण-पोषण वाद सं०-५९/२०२२ में पारित अंतिम आदेश को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। सुलह-समझौते के आलोक में आवेदक द्वारा विपक्षी मुस्कान खातुन को एकमुश्त मो० चार लाख पच्चीस हजार रूपए का भुगतान किया जा चुका है। भविष्य में मुस्कान खातुन इस वाद में आवेदक चांद सिद्धीकी के विरुद्ध भरण-पोषण का कोई दावा नहीं करेगी। साथ ही भरण-पोषण वाद सं०-५९/२०२२ में पारित अंतिम आदेश दिनांक ३०.०९.२०२४ को निरस्त किया जाता है। अतः सुलह-समझौते के आलोक में वाद का निष्पादन किया जाता है। पंचाट की एक प्रति मूल भरण-पोषण वाद सं०-९/२०२५ में संलग्न करें।

पीठासीन पदाधिकारी